भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 360**

27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

समाज के उच्चतर आय वर्गों से आंकड़े एकत्र करने में चुनौतियां

360. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को समाज के उच्चतर आय वर्गों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की 'गेटेड सोसाइटियों' में रहने वाले लोगों से आंकड़े एकत्र करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे से प्रभावित होने वाले विशिष्ट आंकड़ा संग्रहण कार्यों अथवा सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये चुनौतियां राष्ट्रीय आंकड़ों के समुच्चयों के प्रतिनिधित्व और सटीकता को किस सीमा तक प्रभावित करती हैं;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि उच्चतर आय वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को आंकड़ा संग्रहण कार्य में समुचित रूप से शामिल किया जाए; और

(ङ) क्या सरकार आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया को आसान और सटीक बनाना सुनिश्चित करने हेतु किन्हीं विधायी उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ड): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक नियोजन आदि , जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लोक नीति से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए डेटा एकत्र करने हेतु महत्वपूर्ण हैं । इन सर्वेक्षणों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ गांवों को छोड़कर, जो अभी भी दुर्गम हैं, पूरे देश को शामिल किया गया है। बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में अक्सर प्रतिदर्श व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रतिक्रिया न देना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह तब होता है जब चयनित प्रतिदर्श अनुरोधित जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं या अनुपयोगी डेटा उपलब्ध कराते हैं, जो गैर-प्रतिदर्शकरण त्रुटियों में योगदान करते हैं । उच्च आय समूहों और गेटेड सोसाइटी के बीच गैर-प्रतिक्रिया विशेष चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन उत्तरदाताओं के पास भागीदारी के लिए अनूठी प्रेरणाएं और बाधाएं हैं। गैर-प्रतिक्रिया के समाधान हेतु प्रतिनिधि डेटा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जो सामाजिक रुझानों और आवश्यकताओं को सटीक रूप से दर्शाता है।

इन प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनसंख्या जनगणना और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय ढांचा सर्वेक्षण से क्रमशः उपलब्ध गांवों और खण्डों से युक्त क्षेत्रीय रूपरेखा का उपयोग करके प्रतिदर्श की

प्रतिनिधित्व क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदर्श परिवारों के चयन के लिए वैज्ञानिक प्रतिदर्श डिजाइन का पालन किया जाता है। इन सूचियों में समाज के सभी वर्गों की सभी परिवारों से संबंधित सूचनाएँ निहित हैं। सर्वेक्षणों में समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जहाँ तक संभव हो, एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए चयनित गाँव या शहरी ब्लॉक के सभी परिवारों पर विचार किया जाता है और इस सूची में से, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए, सर्वेक्षण प्रश्नावली की विस्तृत जांच के लिए कुछ परिवारों का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ सर्वेक्षणों में, उद्देश्य के अनुरूप, गाँव/ब्लॉक के परिवारों को कई समरूप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है और इन समूहों से सर्वेक्षण के लिए उचित संख्या में परिवारों का चयन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, चयनित परिवारों में से किसी से भी सहयोग न मिलने की स्थिति में, क्षेत्र कर्मचारी अधिकारी सूचना देने वाले को आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ राजी करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करते हैं। सर्वेक्षण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय पुलिस स्टेशन/जन प्रतिनिधियों/क्षेत्र के आरडब्ल्यूए के साथ बातचीत भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के उद्देश्य, सर्वेक्षण की उपयोगिता और डेटा की गोपनीयता के बारे में आश्वासन देकर स्थानीय स्तर पर क्षेत्र कार्यालयों द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों का संचालन किया जाता हैं ताकि परिवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

हाल ही में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर 2024 में एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया, जिसमें नीति निर्माताओं, शहरी अर्थशास्त्रियों, सर्वेक्षण एजेंसियों, और विश्व बैंक तथा आईएलओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों और आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया, जिसका उद्देश्य मूल्यवान डेटा प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना और प्रतिक्रिया न देने वाली लक्षित आबादी में डेटा और गोपनीय नीतियों के महत्व के बारे में उन्हें शिक्षित करके विश्वास पैदा करना था।